न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
341/2022/प्रार्थना पत्र	2022/414	19.07.2022	06.08.2025

अनवान

1– दूदा पिता खाना गुर्जर निवासी रामपुरा–खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– जीवण पिता लूम्बा गुर्जर निवासी रामपुरा–खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– मगना पिता खाना गुर्जर निवासी रामपुरा–खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मु. केसी पत्नी लूम्बा गुर्जर निवासी रामपुरा–खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: **बनाम** ::

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री लालाराम गुर्जर –अभिभाषक प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम रामपुरा पटवार हल्का खामोर भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा स्थित खाता संख्या 34 में आराजी नम्बर 160, 165, 172, 173, 174, 175 प्रार्थीगणों के खातेदारी अधिकार की स्थित होकर प्रार्थीगणों के कब्जे में होकर उपयोग उपभोग में चली आ रही है। एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में से आराजियात 165 में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण आराजी संख्या 165 तक पहुंचने हेतु बिलानाम आराजी संख्या 1089/166 से बदिशा पूर्व से पश्चिम की जाते हुए आराजी संख्या 1088/166 की दक्षिणी पश्चिमी कोने से बदिशा उत्तर की ओर जाते हुए आराजी संख्या 171 की पश्चिमी मेर दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए अपनी आराजी संख्या 165 की दक्षिणी मेर पर प्रार्थीगण पहुंचते है। और यही एकमात्र रास्ता प्रार्थीगणों की अपनी कृषि आराजियात को काश्त करने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगणों के पर अपनी कृषि आराजियात को काश्त करने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेत उपलब्ध नहीं है। आराजी संख्या 1088/188 पर ग्राम पंचायत रामपुरा(खामोर) द्वारा चारदीवारी करने के लिए नीवें खोदकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा आराजी नम्बर 1088/166 की दक्षिणी व पश्चिमी पेर पर चार दीवारी बनाने के लिए नीवें खोदकर दीवार बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी पर पहुंचने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने से वंचित हो जायेगें और अपनी आराजियात को काश्त नही कर पायेंगे। जिससे प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 1089/166, 1088/166, 171 में से 15 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में पहुंच हेतु विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 1089/166, 1088/166, 171 में से 15 फीट दिलाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहुपरा से प्राप्त प्रथम मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने से भू0अ0निरीक्षक तहनाल को न्यायालय में तलब किया जाकर पुनः बिन्दुवार रिपोर्ट मय प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु सभी वैकल्पिक रास्तों को दर्शाते हुए प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में भू0अ0निरीक्षक तहनाल द्वारा रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में भू0अ0निरीक्षक तहनाल से प्राप्त मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि ग्राम रामपुरा की आराजी नम्बर 165, 160, 159, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 187, 190, 190/967 प्रार्थीगण दूदा वगैरा पिता खाना गुर्जर के नाम खाता संख्या 34 में खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। एवं सभी आराजियात एक साथ एक ही जगह होकर उक्त आराजियात के उत्तरी पूर्वी दिशा में उक्त आराजियात में से आराजी नम्बर 190, 190/967 से लगता हुआ बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 191 में दर्ज है लेकिन मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है तथा रास्ते की जगह मौके पर खेती हो रही है। प्रार्थीगण के आने जाने हेतु उक्त रास्ता दूर पड़ता एवं रास्ता 30 वर्षों से काम में नहीं आने से वह रास्ता प्रार्थीगण द्वारा नहीं चाहा गया है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के दक्षिण में बिलानाम आराजी नम्बर 171 व श्मसान के नाम आरक्षित भूमि आराजी नम्बर 1088/166, 170, 1090/198 स्थित है। उनमें से आराजी नम्बर 171 तथा आराजी नम्बर 170 का उत्तरी हिस्सा वर्तमान में मौके पर पड़त है तथा आराजी नम्बर 1088/166 तथा आराजी नम्बर 170 के शेष हिस्से पर मौके पर श्मसान की चादीवारी बनी हुई है। उक्त चारदीवारी मध्य में से मौके पर लगभग 15 फीट का रास्ता मौके पर छोड़ा हुआ है। जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आजे जाते है। वर्तमान में प्रार्थीगण आराजी नम्बर 1088/166, 170 के मध्य होकर आराजी नम्बर 171 के मध्य होकर अपनी आराजी नम्बर 172 में आ जा रहे है। वर्तमान में प्रार्थीगण के आने जाने को रास्ता बंद नहीं होकर मौके पर खुलासा है, कोई अतिक्रमण नहीं है। आराजी नम्बर 567 एवं 574 दोनों ही वादीगणों/प्रार्थीगणों के नाम पर दर्ज रिकार्ड होकर समीप स्थित है। तथा आराजी नम्बर 574 में से होकर 567 में प्रवेश किया जा रहा है। अतः वैकल्पिक रास्ता होने से आराजी नम्बर 568 प्रतिवादीगण की भूमि से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है। साथ ही भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट में भी रास्ता सुसंगत नहीं होना बताया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है किः–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। किन्तु भू0अ0निरीक्षक तहनाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी ग्राम रामपुरा पटवार हल्का खामोर से अवगत हुआ कि प्रार्थीगणों के अतिरिक्त अन्य खातेदारान भी प्रार्थीगण के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड होकर अन्य आराजियात भी प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। एवं प्रार्थीगण के सहखातेदारी में दर्ज अन्य आराजियात नम्बर 190, 190/967 से लगता हुआ गे0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड होकर आराजियात से लगायत स्थित है। किन्तु उक्त

रास्ते से आने जाने में दूरी अधिक होने से वह रास्ता नहीं चाहा गया है। एवं उक्त रास्ते के अतिरिक्त आराजी नम्बर 1088/166, 170, 171 मध्य होकर 15 फीट रास्ता वर्तमान में मौजूद होना जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होकर रास्ता खुलासा है एवं उक्त रास्ते का प्रार्थीगण द्वारा उपयोग में लिया जाना भी भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट में आया है। अतः प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर पहुंच हेतु अन्य रास्ता मौजूद है जिससे वे आ जा रहे है। अतः रास्ते की अत्यांकित आवश्यकता की सिद्ध नहीं होती है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट ग्राम रामपुरा की खाता सं0 34 में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आराजियात के अतिरिक्त अन्य आराजियात किता 19 कुल रकबा 5.41 है0 प्रार्थीगण के सहखातेदारी से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है जिन्हें प्रकरण पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्या अन्य खातेदारान रास्ता नहीं चाहते? जिससे प्रतीत होता है कि रास्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा हेतु चाहा गया है। क्योंकि सहखातेदारी भूमि पर जाने हेतु अन्य रास्ता वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है एवं प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए चाहा जाना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु वांछित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने एवं पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

आदेश

प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु वांछित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने एवं प्रार्थीगण की आराजी पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा